राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 116/2024

अरविन्द कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, पशु विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पशु विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 05.03.2024
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री हापुराम विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पशुधन सहायक के पद पर पशुचिकित्सालय, मेहरदासी, जिला झुंझुनू में दिनांक 04.02.2020 को हुई। अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र हेतमसर जिला झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2020 (अनुलग्नक–2) को कार्यभार ग्रहण कर किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पशुचिकित्सालय, मेहरदासी, जिला झुंझुनू से उपकेन्द्र हेतमसर जिला झुंझुनू में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र पलासिया, जालौर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा 24.02.2024 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को कोई भत्ता देय नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाये एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान उपकेन्द्र हेतमसर जिला झुंझुनू में कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उपकेन्द्र हेतमसर जिला झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपकेन्द्र पलासिया, जालौर में प्रशासनिक आवश्यकता से राज्यहित में किया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकारी नहीं होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> ***"In our opinion, the courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer order issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."***

5. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 700 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्लू.एल.सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> " So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

6. लिहाजा अपीलार्थी के स्थानान्तरण में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक 06.03.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य